

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लघु सिंचाई प्रमंडल, औरंगाबाद

आकांक्षी जिला कार्यक्रम योजना (ADP)

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या- 07 / 2025-26

केवल ई० निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाइट (www.eproc2.bihar.gov.in) पर
संवेदकों से प्रतिशत दर पर निविदा

दिनांक- 11-12-2025

पत्रांक- 372-y

कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल औरंगाबाद

1.	विज्ञापनदाता का नाम	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल औरंगाबाद
2.	विज्ञापन निर्गत करने की तिथि	दिनांक- 11.12.2025
3.	परिमाण विपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक- 01.01.2026 से 08.01.2026 को अपराह्न 05:00 बजे तक सिर्फ वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर।
4.	प्री-बीड मीटिंग का स्थान, तिथि एवं समय	अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, पटना के कार्यालय में दिनांक- 02.01.2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक।
5.	निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक- 08.01.2026 को अपराह्न 05:00 बजे तक सिर्फ वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर।
6.	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक- 09.01.2026 को 10:00 बजे पूर्वाह्न को संबंधित प्रमंडलीय कार्यालय में।
7.	तकनीकी निविदाओं का मुल्यांकन	दिनांक 13.01.2026 से लगातार
8.	वित्तीय बीड खोलने की तिथि	सक्षम प्राधिकार द्वारा बाद में घोषित किया जाएगा।
9.	निविदा की वैधता अवधि	120 दिन
10.	कार्य की विवरणी	



क्र.सं.	योजना का नाम	जिला	प्रखण्ड	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रधन की राशि (लाख में)	परिमाण-विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑन लाईन मोड में भुगतये) (रुपये में)	बैंड प्रोसेसिंग मूल्य सेवा शुल्क सहित (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑन लाईन मोड में भुगतये) (रुपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नबीनगर प्रखंड के गम्हरिया चेकडैम का निर्माण कार्य	औरंगाबाद	नबीनगर	49.915	1.000	5000	590	6 (छः) माह
2	देव प्रखंड के पचोखर चेकडैम का निर्माण कार्य	औरंगाबाद	देव	48.344	0.967	5000	590	6 (छः) माह
			कुल	98.259				

11 (i) 25 लाख से दो करोड़ से कम राशि की निविदा में जो संवेदक लघु जल संसाधन विभाग में समूचित श्रेणी में निबंधित है, केवल वही संवेदक भाग ले सकते हैं।

12 (क) E.Tending/E.Procurement प्रणाली के तहत निविदा हेतु बीड प्रोसेसिंग शुल्क परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) का भुगतान Online Mode (E.Payment Mode) यानी Internet Payment Gateway (Credit/Debit card) Net Banking, NEFT/RTGS द्वारा किया जाना अनिवार्य है।

(ख) E.Tending/E.Procurement प्रणाली के तहत निविदा में अग्रधन के रूप में जमा की जाने वाली राशि Online Mode (E.Payment Mode) अथवा Physical Payment System में स्वीकार होगा। Online Mode के तहत अग्रधन की राशि Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card) Net Banking, NEFT/RTGS के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

(ग) "Bids along with necessary online payments must be submitted through E.Procurement Portal www.eproc2.bihar.gov.in before the date and time of submission mentioned in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/non submission of Tender/Non Reconciliation of online payment caused due to non availability of internet connection, Network Traffic/Holidays or any other reasons".

(घ) "BSEDC Processing fee and Tender Fee/BOQ fee has to be paid through E.payment mode only. EMD may be paid either through online or offline mode."

Handwritten signature

13	Physical Mode/Manual Payment System के तहत अग्रधन की राशि मात्र बिना शर्त वाली बैंक गारन्टी (as per the format in SBD) जो बीड के मान्य अवधि एवं 45 दिनों (120 दिन + 45 दिन=165 दिन) तक के लिए बिहार अवस्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक से/वित्त नियमावली में प्राधानित किसी भी रूप में होना चाहिए, जो कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल औरंगाबाद के पदनाम से प्रतिज्ञप्ति होना चाहिए, परिमाण विपत्र की राशि घट-बढ़ सकती है। परिमाण विपत्र की राशि के अनुरूप 2 प्रतिशत राशि अग्रधन के रूप में देना होगा। अग्रधन के रूप में उक्त वर्णित बैंक गारन्टी निविदा निर्गत एवं निविदा अपलोड होने की तिथि के बीच निर्गत होना चाहिए। ऐसा नहीं रहने पर संवेदक को अमान्य कर दिया जायेगा।
14	प्राक्कलित राशि एवं अग्रधन की राशि में घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी हो सकती है। परिमाण विपत्र में अंकित प्राक्कलित राशि एवं अग्रधन की राशि मान्य होगी।
15	संवेदक परिमाण विपत्र सिर्फ वेबसाइट से प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक निविदा पत्र को भर कर अपलोड करेंगे। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात या अग्रधन की राशि/सभी प्रमाण पत्र जो निविदा के लिए आवश्यक है, को स्कैन कर ई-निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। संवेदक मूल कागजातों को स्कैन कर अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रम अंकित करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी प्रलेख .PDF, M.S Office (Compatibility Mode) JPEG, ZIP Format में ही अपलोड किया जाये अन्य Format में Upload Document के Download/Open नहीं होने पर या अस्पष्ट होने पर इसके कागजात पर विचार नहीं होगा। संवेदक स्कैन कर अपलोड किये गये कागजातों की Download एवं Visibility से पूर्णरूपेण संतुष्ट हो लेंगे। अनावश्यक कागजात वांछित नहीं होगा।
16	इंटरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध में संवेदक का कोई दावा मान्य नहीं होगा। अतः संवेदक को चाहिए की तकनीकी कारणों के कारण अंतिम समय के कठिनाईयों से बचने हेतु बीड को पूर्व में ही अपलोड कर लें।
17	अधीक्षण अभियंता(मुख्यालय) अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-1010(मो०) दिनांक-18.07.2023 के द्वारा दर प्रतिशत दर निविदा (In Percentage Rate Tender/ Unlimited Rate) मान्य होगी। एक से अधिक निविदादाता का न्यूनतम दर समान होने पर लॉटरी के माध्यम से निविदा का निष्पादन किया जायेगा।
18	मिट्टी कार्य मद के लिए अनुसूचित दर से अधिक अथवा कम उद्धृत दर की गणना खनन कर (Royalty) घटाकर की जायेगी।
19	लोकहित/कार्यहित को दृष्टिगत रखते हुए वैसे सभी निविदादाताओं की निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा जिनके विरुद्ध पूर्व में निष्पादित/प्रक्रियाधीन निविदाओं में संलग्न किये गये कागजातों/अभिलेखों के फर्जी होने का साक्ष्य प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये हैं या उनके विरुद्ध बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली-2007 एवं निविदा में निहित शर्तों के आलोक में एफ0आई0आर0 दर्ज करने एवं डिबार/कालीकृत करने की कार्रवाई की गयी है या प्रक्रियाधीन है।

Alce

20	Eligibility Criteria के लिए लघु जल संसाधन विभाग का पत्रांक-1374(मो०) दिनांक-05.12.2017 एवं पत्रांक-746(मो०) दिनांक-04.08.2021, पत्रांक 1046(मो०) दिनांक 29.05.2020 एवं मुख्य अभियंता (यो०+अनु०+भुगर्भी), लघु जल संसाधन विभाग, पटना का पत्रांक 474 दिनांक 01.08.2023 का पालन किया जायेगा।
21	निविदा का एकरारनामा F ₂ Form में कार्य की राशि के अनुसार किया जायेगा।
22	निविदा देने के पूर्व संवेदक प्रस्तावित कार्य स्थल से अवगत हो लेंगे। बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। यदि किसी कारण कार्य तुरंत शुरू होने में कोई दिक्कत (स्थानीय ग्रामीणों, अतिक्रमण इत्यादि) होने की संभावना हो तो कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, औरंगाबाद को सूचित करेंगे। ऐसी सभी संभावनाओं को प्री बीड में अनिवार्य रूप से बताया जाय। अतः संवेदक से आशा की जाती है कि वे प्री बीड मीटिंग में आने से पूर्व स्थल का पूरा भ्रमण कर लेंगे एवं स्थानीय मुखिया एवं ग्रामीण से भी संपर्क कर लेंगे।
23	कार्य का भुगतान विभाग द्वारा निधि की उपलब्धता के पश्चात् किया जायेगा। विलम्ब से भुगतान होने की स्थिति में किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा साथ ही इस संबंध में आपका कोई दावा मान्य नहीं होगा।
24	सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
25	बिहार भवन एवं सन्निमार्ग कर्मकार बोर्ड के मद में संवेदक के प्रत्येक विपत्र से 1% (एक प्रतिशत) राशि लेबर सेस के रूप में देय होगी जो विपत्र से काट ली जायेगी।
26	यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्त की तिथि को अवकाश घोषित होता है तो निविदा अगले कार्यकारी दिन को नियत समय पर प्राप्त की जायेगी एवं खोली जायेगी।
27	समय-समय पर बिहार सरकार द्वारा दिया गया अनुदेश, निविदा एवं एकरारनामा का अभिलि अंग होगा। एवं इस बिज्ञप्ति की सभी कंडिका/शर्त एकरारनामा का अंश समझा जायेगा।
28	चरित्र प्रमाण पत्र एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, औरंगाबाद कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। चरित्र प्रमाण पत्र सम्बंधित जिला के एस०पी० कार्यालय से निर्गत होना चाहिए।
29	कार्य की गुणवत्ता के लिए संवेदक पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे। कार्य की गुणवत्ता की जाँच संवेदक को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से अपने खर्च पर कराना आवश्यक होगा।
30	"I, the undersigned, do hereby certify that all statement made in the require attachments are true and correct, and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the FIR and lawful punishment as well as black listing." का शपथ पत्र मूल में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
31	इस निविदा में वैसे ही निविदाकारों के निविदा पर विचार किया जायेगा, जो किसी भी विभाग से Blacklisted/Debarred नहीं हो एवं उनके स्तर पर लघु जल संसाधन विभाग द्वारा आवंटित कोई कार्य, कार्य समाप्ति की अवधि तक लंबित नहीं है। इस सम्बन्ध में निम्नांकित शपथ पत्र देना अनिवार्य है।



	(क) लघु जल संसाधन विभाग में कोई कार्य एकराशित कार्य समाप्ति अवधि तक लंबित नहीं है का शपथ पत्र संलग्न करना एवं मूल कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। (ख) डिबार/ कालीकृत/ रिसाईन्ड नहीं है से संबंधित शपथ पत्र संलग्न करना एवं मूल कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। सर्वेदक को कार्य के दौरान विभागीय पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के साथ संचरितता एवं सदव्यवहारिकता से संबंधित शपथ पत्र मूल में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
32	कोई निकटतम सम्बन्धी / परिवारीक सम्बन्धी (अभिप्रेरित पति, पत्नी, माता, पिता, भाई बहन एवं ससुराल से सम्बन्धीत सदस्य) विभाग के संबंधित कार्यालयों में कार्यरत नहीं है से संबंधित शपथ पत्र मूल में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
33	बिना कारण बताये एवं बिना पूर्व सूचना के पूरी निविदा अथवा इसके किसी खाश अंश को किसी भी स्तर पर रद्द करने एवं विस्तारित तथा रिस्टर करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी/सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित होगा।
34	विशेष जानकारी हेतु कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, औरंगाबाद/अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, पटना /मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के कार्यालय में कार्य अवधि में संपर्क किया जा सकता है एवं वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है तथा ईटेंडरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी/सूचना हेतु Toll Free Number: 1800 572 6571 सहायता कक्ष Mjunction Services Limited RJ Complex, 2nd Floor, Canara Bank Campus, Khajpura, Ashiana Road, P.S.-Shastri Nagar, Patna-800014, Bihar पर Working Hours: 8AM to 7PM (All days in week except Sunday and few selected state holidays) संपर्क किया जा सकता है।
35	बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेश के तहत जी०एस०टी०/स्वामित्व/मालिकाना फीस की कटौती किया जायेगा।
36	सभी तरह का शपथ पत्र निविदा निर्गत होने की तिथि के बाद का ही मान्य होगा।
37	विभागीय पत्रांक-746 दिनांक-04.08.2021 के आलोक में निविदा में अभिलेख संलग्न करना होगा।
38	निविदाकारों द्वारा निविदा कागजातों के साथ संलग्न सभी कागजातों की सत्यता के सम्बंध में घोषणा पत्र/शपथ पत्र (जो निविदा सूचना प्रकाशन के बाद का हो) एकरारनामा के पूर्व लघु सिंचाई प्रमंडल, औरंगाबाद के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
39	सर्वेदक को निविदा के साथ अपना पत्राचार पता एवं स्थायी पता, ई-मेल एवं दुरभाष संख्या या मोबाईल एवं Whatsapp नम्बर देना अनिवार्य होगा।
40	निविदा से संबंधित सभी कागजात केवल ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। निविदा में सफल निविदाकार को आवश्यक कागजात जैसे- सभी शपथ पत्र (मुल में), बैंक गारंटी (मुल में), एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल, औरंगाबाद के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। विभागीय पत्रांक 147(मौ) दिनांक 31.01.2024 के आलोक में दिये गये निदेश का पालन किया जाएगा।
41	

42 किसी भी प्रकार का शुद्धि पत्र को वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा।

43 Certified that statement showing values of all existing commitment and ongoing works as well as stipulated period of completion remained for each work attached with the tender is true and no fact has been hidden. का शपथ पत्र मूल में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

44 खान एवं भूतत्व विभाग बिहार का पत्रांक 4418/एम0, पटना दिनांक 19.11.2024 के अनुसार कार्य में व्यवहृत लघु खनिजों का चालान अनिवार्य रूप से समर्पित करने होगा। चालान नहीं जमा करने पर पत्र में दिये गए निर्देश के अनुसार रायल्टी का 25 गुणा कटौती की जाएगी।

45 किसी प्रकार का आपत्ति निविदा में भाग लेने वाले संवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर में शपथ पत्र के साथ देने पर ही विचार किया जाएगा।


कार्यपालक अभियंता,
लघु सिवई प्रमंडल, औरंगाबाद।

पत्रांक ३७२५/ औरंगाबाद, दिनांक ११.१२.२०२८/

निदेशक सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार पटना को निविदा सूचना की पाँच प्रतियों एवं निविदा का साफ्ट कॉपी के साथ दैनिक समाचार पत्रों में व्यापक प्रसार संबंधित कार्य क्षेत्र में लगातार तीन दिनों तक प्रकाशनार्थ समर्पित।

(१) निविदा सूचना पत्र पाँच प्रतियों में

(२) निविदा का साफ्ट कॉपी

प्रतिलिपि:-

अनुलग्नक:-


कार्यपालक अभियंता
लघु सिंचाई प्रमण्डल, औरंगाबाद।

पत्रांक ३७२५/ औरंगाबाद, दिनांक ११.१२.२०२८/

जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद को सादर सूचनाार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:-


कार्यपालक अभियंता
लघु सिंचाई प्रमण्डल, औरंगाबाद।

पत्रांक ३७२५/ औरंगाबाद, दिनांक ११.१२.२०२८/

मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि:-


कार्यपालक अभियंता
लघु सिंचाई प्रमण्डल, औरंगाबाद।